राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/185/2017- APCR

सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री पी.एल. मौर्य, डिप्टी कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर, श्री अवनीश कुमार, सीओ सिटी, नोएडा, श्री खेमचन्द वर्मा, प्रार्थिनी के भाई उपस्थित थे। प्रार्थिनी के भाई ने सूचित किया कि उसके भांजे की हत्या की गई है व अभी तक पुलिस उपरोक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सीओ सिटी नोएडा ने सूचित किया कि मृतक की बिसरा परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर में इथाईल एल्कोहल व एल्युमिनियम फासफाईड विष होना पाया गया है। इथाईल एल्कोहल प्रथम दृष्टया मृतक द्वारा मत्यु पूर्व शराब का सेवन किया इंगित करता है। अत: विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 48/18 समाप्त की जा चुकी है।

उपस्थित सीओ सिटी, नोएडा यह सूचित नहीं कर पाए कि शराब के सेवन में विष एल्युमिनियम फासफाईड अगर पाया गया है तो वह एल्कोहल व विष का सेवन मृतक ने कैसे किया। यदि वह नकली शराब थी तो वह नकली शराब किसने बेची और किसको बेची गई, मृतक को या उसके साथी टेन्ट वाले लोगों को। नकली या विषयुक्त शराब के सेवन से क्या अन्य लोगों के (उसी दौरान 21.04.2017 के आस-पास) आहत होने या पकड़े जाने की क्या सूचना है, इस पर विवेचना नहीं की गई।

पुलिस ने यह भी नहीं सूचित किया कि क्या मृतक शराब पीने का आदि था अथवा नहीं। जब कि मृतक के मामा ने सूचित किया कि मृतक शराब का सेवन नहीं करता था।

स्पष्ट है कि विवेचना अपूर्ण है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबद्ध नगर से अपेक्षा है कि वह पूर्ण विवेचना के लिए 173 (8) में पुन: खोलेंगे व आयोग के उपरोक्त प्रश्नों सहित अन्य बिन्दुओं पर विवेचना पूर्ण कर एक महीने में आयोग को सूचित करेंगे।

यदि नकली शराब का सेवन से मृतक सुभाष की मृत्यु हुई है तो नियमानुसार उचित मुआवजा परिवार को देकर 2 महीने में रिपोर्ट सहित प्रस्तुत।

अगली सुनवाई दिनांक को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. UP/455/2018-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर, श्री महेश कुमार, सीओ सीटी नोएडा, श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

सीओ, सिटी बिजनौर, ने सूचित किया कि प्रकरण में चार्ज शीट माननीय न्यायालय में दायर की जा चुकी है व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Delhi/209/2017-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री बी.के. झा, एसडीएम, सिविल लाईन्स, श्री सतीश कन्नौजिय, तहसीलदार, सिविल लाईन्स, श्रीमती भागमीली, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस उपायुक्त, सिविल लाईन्स, दिल्ली को बुलाया गया था जो उपस्थित नहीं हुए। अगली सुनवाई में उनकी उपस्थिति हेतु summon निर्गत किए जाए।

यह तय हुआ कि एसडीएम सिविल लाईन्स प्रार्थिनी को अपने कमरे में आज ही 3 बजे सुनवाई पर बलाएँगे व सभी संबंधी अभिलेखों की कॉपी लेकर संबंधित सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से भी रिपोर्ट मँगाकर एक महीने में समुचित कार्रवाई कर प्रस्तुत करेंगे।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुभाग प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. 6/Incl.&Excl./2012- SSW I</u>

<u>सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त</u>

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई में बुलाया गया था। वे उपस्थित नहीं हुए।

अगली सुनवाई में उपस्थिति हेतु Summons निर्गत किए जाएँ।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Punjab-6/2018-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री प्रबोध कुमार, एडीजीपी-कम-निदेशक, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब, श्री मोनू कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रकरण में प्रार्थी ने सूचित किया कि उसकी FIR पर पुलिस द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है व आईजी, पटियाला के अधीन विवेचना की जा रही है, किन्तु आईजी, पटियाला द्वारा उसके प्रति पुरानी द्वेष भावना है इसलिए उसको अंदेशा है कि उसकी विवेचना ठीक से नहीं की जाएगी। पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया है कि विवेचना एक एसआईटी के द्वारा पटियाला में की जा रही है। SIT के इंचार्ज भी आज सुनवाई में उपस्थित थे व उन्होंने तथा एडीजीपी ने आयोग को आश्वासन दिया कि इस SIT का आईजी, पटियाला से कोई संपर्क नहीं है व SIT अपना कार्य निष्पक्षता से करेगी।

आयोग को अपेक्षा है कि जाँच निष्पक्ष रूप से 2 महींने में संपन्न की जाएगी व FIR में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो अभी तक नहीं लगाया गया है उसे जोड़ा जाएगा।

2 महीने बाद रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई दिनांक को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/796/2015-APCR

सुनवाई तिथि 07.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री आलोक टंडन, सी.ई.ओ., नोएडा, श्री राजेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, नोएडा, श्री विनय पांडे, तहसीलदार, नोएडा, श्री जितेन्द्र कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

गत सुनवाई में तय किए गए था चूंकि इस भूमि के कब्जे के कारण प्रार्थी के पिता की हत्या, भाइयों पर जानलेवा हमला हो चुका है व आयुक्त मेरठ से अपेक्षा थी कि क्योंकि संबंधित पत्रावली आयुक्त के कार्यालय में है। अत: इस पत्रावली पर कार्रवाई पूर्ण करते हुए रिपोर्ट देंगे। यह अपेक्षा की गई थी।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2018 में सूचित किया है कि:

(क) वाद सं. 01778/2018 जितेन्द्र बनाम धर्मवीर अन्तर्गत धारा 129 उ.प्र. राजस्व संहिता में दिनांक 18.08.2018 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नत भूमि गाटा सं 294/2म रकबा 0.3460हे. पर से प्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. जगदीश को कब्जा दिलाते हुए उक्त भूमि पर से अवैध अध्यासीनों सुन्दर, देवेन्द्र, जितेन्द्र, रविन्द्र पुत्रगण टेकचन्द व रमेश पुत्र देवीसहाय, निवासीगण ग्राम कामबक्शपुर को प्रश्नगत भूमि पर से बेदखल करते हुए प्रत्येक विपक्षीगण को दो-दो वर्ष की अवधि के कारावास व तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(ख) वाद सं. 02675/2016 रमेश बनाम जितेन्द्र कुमार धारा 67क उ.प्र. राजस्व संहिता में आदेश दिनांक 18.08.2018 पारित करते हुए दावा वादीगण निरस्त कर दिया गया।

(ग) श्रीमती सरोज पत्नी स्व. श्री जगदीश, नि. ग्राम कामबक्शपुर को अंकन 4,12,500/ की आर्थिक सहायता डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है।

जितेन्द्र व अन्य को गैर अनुसूचित जाति द्वारा उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में 14,77,500/रू की धनराशि उपलब्ध करायी जा चकी है।

(घ) इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.09.2018 को विपक्षीगण को बेदखली से रोका गया है तथा आदेश पारित किए है कि ".....No eviction shall take place."

(ङ) नोएडा प्राधिकण से दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कामबक्शपुर स्थित जिस खसरा संख्या 294/2म की भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह भूमि आबादी के मध्य तथा विवादित होने के कारण प्राधिकरण के पक्ष में आपसी समझौते के आधार पर क्रय किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं है।

चूंकि प्रकरण अब माननीय उच्च न्यायालय में हैं, अत: मामला विचाराधीन (subjudice) होने के कारण बंद किया जाता है। पुरानी रंजिश है व प्रार्थी के पिता की हत्या तथा परिवार के सदस्यों पर हमला किया जा चुका है अत: पुलिस व जिला प्रशासन से प्रार्थी व उसके परिवार की सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Har/112/2017-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री मनीष कुमार फोगाट एसडीएम, बाढडा चरखी दादरी, श्री दलिप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मोनिका, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस ने सूचित किया कि पुलिस उपाधीक्षक व सबइंस्पेक्टर का स्थानांतरण कर दिया है तथा आरोपी अमित को bind down कर दिया गया है। प्रार्थिनी ने सूचित किया कि आरोपी अमित अभी भी उसको धमकाता है और कुछ दिन पूर्व ही आरोपी ने उसके और उसकी बहन के साथ बस में छेड़छाड़ की। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवायी, किन्तु पुलिस द्वारा पुन: अमित का साथ दिया व उसका नाम FIR से हटा दिया। उन्होंने आयोग को पिछली सुनवाई में बताया था कि अमित के विरूद्ध अन्य किसी थाने में भी FIR दर्ज है व वह पेशेवर गुण्डा है।

आयोग ने पाया कि गत सुनवाई 12.12.2017 में यह बिंदु उठाया गया था कि अमित के विरूद्ध एक अन्य FIR दर्ज है व थाना आदमपुर में भी उसके विरूद्ध FIR दर्ज है। पुलिस व प्रशासन की रिपोर्ट में इस बिंदु पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अत: जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक Affidavit पर आयोग को सूचित करेंगे कि आरोपी अमित के विरूद्ध उस जिले में कहाँ-कहाँ FIR दर्ज है। FIR व दी गई तहरीर के साथ आयोग को सूचना Affidavit में दी जाएगी।

यदि आरोपी अमित के विरूद्ध अन्य थानों में अन्य लोगों द्वारा FIR लिखवाई गई है तो स्पष्ट होता हे कि अमित अपराधी प्रवृत्ति का है। इसलिए अपेक्षा है कि पुलिस व प्रशासन उसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

Affidavit व रिपोर्ट 1 ½ महीने में प्रस्तुत की जाएगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

National Commission for Scheduled Castes

File No.13/10/Press Clipping/2018/ESDW

Minutes of Hearing dated 18.09.2018

The case of death of 05 persons while cleaning of Sewer Treatment Plant STP on 10.09.2018 at Moti Nagar, New Delhi was taken up. The Chief of Secretary Delhi and Commissioner of Police, Delhi along with other officers were present. The list of Officers of Govt. of NCT of Delhi, who were present in the hearing is placed Annexure-I.

The NCSC had conducted an on the Spot Enquiry on 11.09.2018 in this case, a detailed observation on the same were issued on13.09.2018. The Commission desired to know the action taken by the Government and Police namely progress in the Police investigation, arrest of those responsible and other details as to whether the STP was as per norms etc.

The Commission again wanted to know whether the building was constructed as per norms of the Department of Urban Development including fire safety measures and construction of Sewer Treatment Plant etc.

The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi reported that following persons died in the STP, Moti Nagar, New Delhi

1. Shri Umesh Kumar S/o Shri SrikantTiwari, Age-22 Years, (U.P.).
2. Shri Sarfaraz S/o Shri MohdHayul, Age -19 Years. (Bihar).
3. Shri Vishal S/o Shri Birbal, Age-22 Years. (Delhi).
4. Shri Pankaj S/o Shri Amar BahadurYadav, Age-26 (U.P).
5. Shri Mritunjay Kumar Singh S/o Shri Manoj Kumar, Age-21 Years. (Bihar).

The Chief Secretary reported that Rs. 10 lakh of compensation has been paid to the family of Shri Vishal, a SC labourer and Rs. 4.25 lakhs has been paid under the SC/ST (POA) Rules, 2016. The financial compensation to the families of the dead will be released to legal heirs as soon as the details of legal heirs and bank accounts are obtained. As of now the families of the dead at Sl. No. 1,2,4& 5 are in their native villages for last rites/ceremonies. The concerned District Magistrates of the towns have been requested to give the details of legal heirs of the victims.

The Commissioner of Police, Delhi Police reported that Director & Supervisor of Unnati (the subcontractor of JLL) and one engineer of JLL have been arrested. Notice has also been sent to the Management of the DLF and JLL for making available copies of the agreements of contact for the maintenance of the Sewer Treatment Plant.

The officers of the DDA reported that Sewer Treatment Plant are allowed to construct in the basement of the Multi-level building and submitted a copy of the compendium of Delhi Govt. building bye Laws which states 'services can be situated in basement.

The Chief Executive Officer, Delhi Jal Board stated that to prevent sever cleaning related deaths, the Govt. of Delhi has approved purchase of 200 machines for the cleaning of Sewer lines. The Delhi Jal Board has already circulated the notification for implementation of the MS Act, 2013 and Rules to all the concerned Departments of the Delhi State and the same will be reiterated that no manual cleaning of sewer is to be done.

The Chief Secretary stated that a 03 member Committee has been constituted from the Department of Urban Development, Delhi Fire Services and Commissioner, South District to enquire into the whole

incidence and they have been asked to submit the report within 07 days. He desired time till 28.09.2018 for the comprehensive report which was as agreed to.

It was agreed that:

i) All the accused responsible need to be arrested and all those responsible by omission or commission must be held.

ii) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi will submit a comprehensive report on the issue by 05.10.2018, the Govt. will draw up a plan to ensure such disasters do not happen any where etc.

iii) Continuous publicity in radio, television, print media, social media and through other sources will be given to the fact that manual cleaning of sewers is prohibited, and no one should engage anyone to enter/ clean sewers. Adequate publicity to also be given to the punishment under MS Act, SC & ST (POA) Act and other IPC sections that are applicable on FIRs against persons who engage anyone to enter sewer.

iv) The persons who were / are engaged in manual cleaning of sewers should again be identified by surveys and they should also be educated on the legal position, the perils of entering sewer and advised not enter the same. They should be given skill development training for other works. The Social Welfare Department, Jal Board, PWD etc should plan for and execute the same.

v) Regarding compensation as per the Hon'ble Supreme Court guidelines :

(a) The employer is liable to pay Rs.10 lakh as monetary compensation to the family of each deceased.

(b) The employer was supposed to take a life insurance policy of Rs. 10 lakh for each employee. If this has not been done, in lieu of that policy, the payment of Rs.10 lakh more has to be made to the legal heirs of each deceased.

vi) The employer of the deceased needs to provide a job to one family member of each of the deceased.

vii) For Non-SC deceased also, Government of NCT of Delhi will, as a welfare measure, provide a house to the family of each deceased.

viii) In addition to the above, the family of the Scheduled Caste (SC) deceased has to be given the relief as per SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016 which would include compensation of Rs.8.25 lakh, pension to the wife / legal heirs, free education to the children and providing a house.

Action on recent sewer cleaning death in Dwarka was also discussed :-

The death on 15.09.2018 of a person in Dwarka while cleaning a Jal Board Sewer line, the action taken by Police and Department was also discussed. The CEO, Delhi Jal Board reported that the sewer line was being constructed and was not operational. Some local contractor had engaged the deceased Late Anil apparently to clean the part of sewer line where his house's sewer line connected to the DJB line.

The Police stated that the contractor has been arrested and investigation is ongoing.

Regarding compensation to the family of deceased the C.S. Delhi stated that the Social Welfare Department shall be asked to take necessary action within 07 days and submit a report.

It was agreed that a separate comprehensive report on the same will be submitted within 15 days.

The progress report on the action taken on the points above by the Govt. of Delhi and Delhi Police is to be submitted to the Commission by 05.10.2018 as per the assurance of Chief Secretary, Govt. of Delhi and Commissioner of Police, Delhi.

(Prof.(Dr.) Ram Shankar Katheria),
Chairman, NCSC

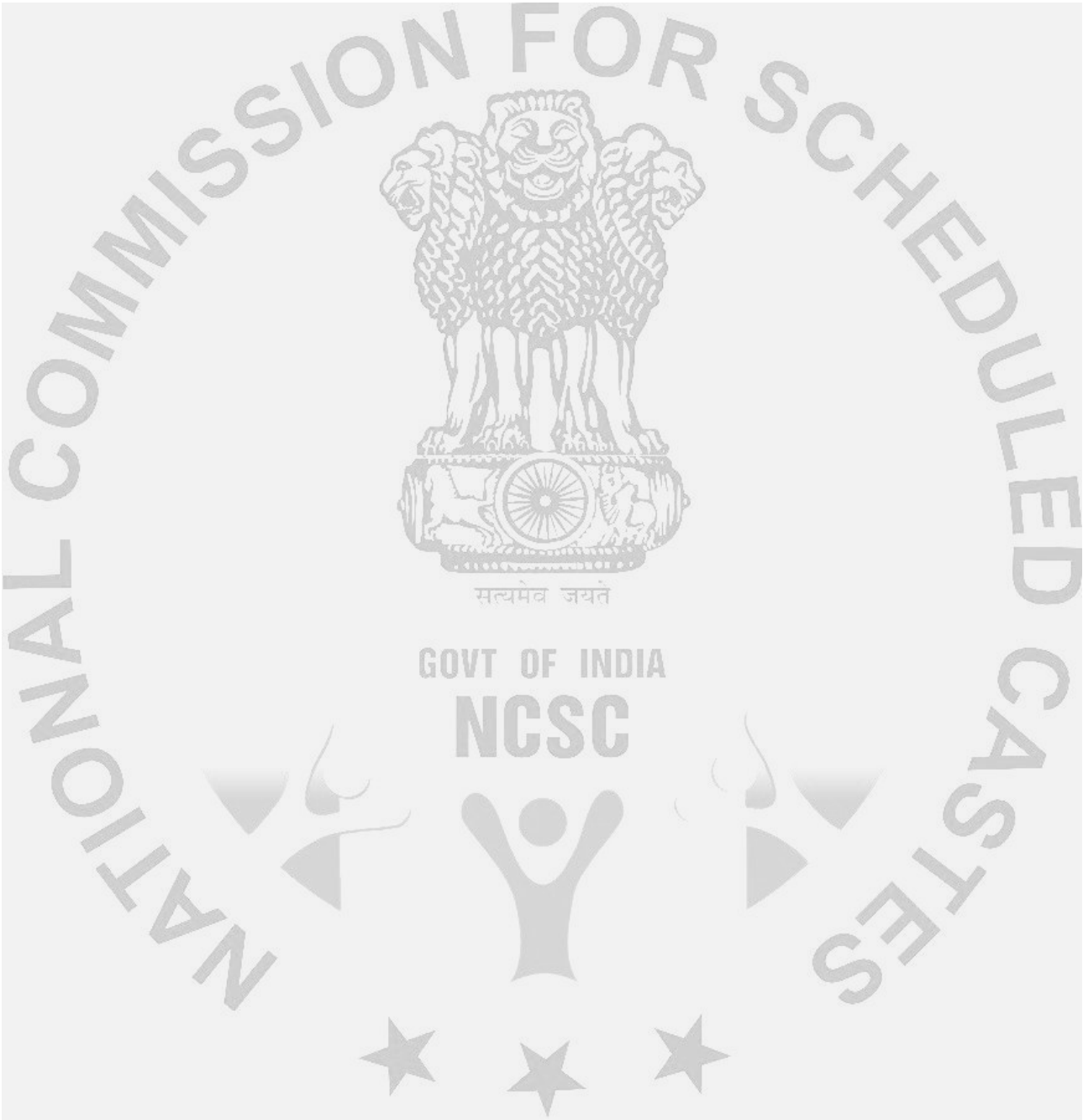

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Har/58/2018-APCR

सुनवाई तिथि 24.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री मनीष कुमार फोगाट एसडीएम, बाढडा चरखी दादरी, श्री दलिप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, श्री मैनपाल (एएलसी), लेबर कमिश्नर ऑफिस भिवानी, श्री जयपाल प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी ने सूचित किया कि प्रार्थी का पुत्र एक aided college में कॉलेज प्रबंधन के कहने पर पुताई का कार्य कर रहा था। उसको सेफ्टी बेल्ट आदि नहीं दी गई थी व सीढ़ी से गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। प्रबंधन द्वारा उसके इलाज आदि के लिए व चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है व साथ-साथ उस लड़के (जो ठीक से चल भी नहीं सकता) के विरूद्ध 354 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज और कर दी है। प्रार्थी का पुत्र संदीप भी सुनवाई में आया था। आयोग ने देखा कि वह चल-फिर नहीं सकता है व उसने 90% अक्षमता/विकलांगता का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया।

पुलिस का कथन था कि जिस स्कूल में वह कार्य कर रहा था उसके द्वारा संदीप को लगभग 2 लाख इलाज के लिए दिए गए। लेकिन लेबर इंस्पेक्टर के कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख विद्यालय द्वारा प्रार्थी को भुगतान की जो रसीदें उपस्थित की गई थी वह सब पेटिंग के कार्य के लिए दिया एडवांस है।

स्प्ष्ट हे कि पुलिस द्वारा 90% विकलांग लड़के के विरूद्ध 354(a), 354(d) की FIR दर्ज करके उसका उत्पीड़न किया है व इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह FIR उसके द्वारा विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध FIR बंद करने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से किया गया है।

पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी उपस्थित नहीं थे, अत: प्रकरण पुन: आईजी व पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाता है व उनसे अपेक्षा है कि दोनों FIR की निष्पक्ष जाँच हो। संदीप की विकलांगता को देखते हए द्वेष भावना या दबाव डालने के उद्देश्य से की गई उसके विरूद्ध FIR को बंद करने की कार्यवाही करेंगे।

जिलाधिकारी तथा लेबर आयुक्त से अपेक्षा है कि Accidental Insurance Policy के अधीन जो भी भुगतान संदीप को हो सकता है व शीघ्र करवाएँ तथा स्कूल के प्रबंधन से भी उसके इलाज हेतु खर्च दिलवाया जाए। बिना सेफ्टी बेल्ट के उसको सीढ़ी पर चढ़ाकर कार्य करवाया जा रहा था, अत: प्रथम दृष्टया कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही प्रदर्शित होती है व प्रबंधन की उसके इलाज हेतु भुगतान करने का liability व दायित्व तथा नैतिक आधार भी बनता है।

अगली सुनवाई में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सहित आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व लेबर आयुक्त उपस्थित हो।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं MP/5/2018-APCR
सुनवाई तिथि 20.08.2018 का कार्यवृत्त

श्री अंशुमन यादव महानिरीक्षक, ग्वालियर, श्री बी.एम. शर्मा, डिविजनल कमिश्नर, ग्वालियर, श्री अशोक कुमार वर्मा, जिलाधिकारी ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर, श्री पूजा जाटव, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस व प्रशासन ने सूचित किया कि प्रकरण में समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। दोनों FIR - 463/2017 में:-

1. दिनांक 06.06.2017 को अपराध क्र. 463/17 धारा 376,506,323,34 ता.हि. 5सी,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कराया गया था, जो आवेदिका के माननीय न्यायालय में दर्ज कराये गये धारा 164 जॉ.फौ. के कथन से स्पष्ट है, उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होकर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
2. दिनांक 27.05.2018 को अप.क्र. 386/18 धारा 354,323,504,506,195ए ता.हि. पंजीकृत कराया गया था, उक्त प्रकरण के दोनों आरोपी शैलेष कदम एवं श्रीमति राजाबेटी कदम की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
3. आवेदिका द्वारा शिकायत पत्र में उसके एवं शैलेष के गंदे फोटो दिखाकर सार्वजनिक करने की बात लेख कराई गई है, किंतु उक्त फोटो का कोई साक्ष्य जांच के दौरान नहीं पाया गया है। उक्त संबंध में आवेदिका द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी, परंतु न ही किसी फोटो की जप्ती हुई है न ही कोई प्रमाणिक साक्ष्य स्पष्ट हुआ है तथा ऐसा कोई प्रकाशन भी नेट अथवा सार्वजनिक रूप से होना नहीं पाया गया है।
4. आवेदिका द्वारा अनावेदक के भाई दलवीर सिंह जो बी.एस.एफ. में है, उसके द्वारा अपनी लायसेंसी पिस्टल से आवेदिका को मारने के लिए आने का तथ्य लेख कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के पत्र क्रमांक/शिपु/पुमनि/59/18 दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि, निरीक्षक दलवीर सिंह कदम पुत्र गोपाल कदम नि.- डबरा गॉव के नाम से जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर एवं दतिया के कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कोई शस्त्र लायसेंस अंकित होना नहीं पाया गया है। यद्यपि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस करैरा द्वारा की गई जॉच के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अनावेदक दलवीर सिंह के पास जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से प्राप्त किए गए लायसेंस पर .32" बोर पिस्टल है।
5. आयोग के द्वारा सुनवाई वृत्त में उल्लेख अनुसार प्रकरण के आरोपी आरक्षक 625 जितेन्द्र कदम जिला दतिया के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, जिला-दतिया द्वारा अपने आदेश क्र./पु.अ//दतिया/स्टेनो/निलं/660/18 दिनांक 17.07.2018 के माध्यम से आरक्षक को निलंबित किया गया है। आरक्षक के विरूद्ध विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रचलन में है।
6. प्रकरण के आरोपी आरक्षक जितेन्द्र कदम के विरूद्ध कार्यवाही में विलंब का प्रश्न है, इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.08.2018 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को निर्देशित किया गया था कि थाना डबरा के अप.क्र. 463/17 में आरोपी आरक्षक जितेन्द्र कदम को दिनांक 09.09.2017 को गिरफ्तार करने संबंधी सूचना पुलिस अधीक्षक दतिया को तत्समय कब एवं किसके द्वारा दी गई थी।
7. उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार स्वर्णकार के द्वारा आरोपी आरक्षक की गिरफ्तारी की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक दतिया को न देकर कर्त्तव्य के प्रति प्रदर्शित लापरवाही हेतु पुलिस अधीक्षक ग्वालयिर के आदेश क्र./शिपु/एनसीएससी/06-एफ/18 दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार स्वर्णकार की एक वार्षिक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।
8. अनावेदक दलवीर सिंह कदम इस्पेक्टर बी.एस.एफ. के संबंध में आवेदिका के द्वारा प्रस्तु शिकायती आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में जॉच कर यथोचित कार्यवाही कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्र./पुमनि/रीडर/रा.अ.जा.आ./पुमु-2428-डी/2018 दिनांक 10.08.2018 के माध्यम से पुलिस मानिरीक्षक (कार्मिक) सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को लेख किया गया है। इस तारतम्य में उप पुलिस महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 13.08.2018 को दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि, दलवीर सिंह कदम निरीक्षक, बी.एस.एफ. वर्तमान में 151 बटालियन बाड़मेर (राजस्थान) में तैनात है एवं उसके विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच कर आनावेदन दलवीर सिंह कदम निरीक्षक बी.एस.एफ. के विरूद्ध यथोचित विभागीय कार्यवाही हेतु सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय दिल्ली द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात को निर्देशित किया गया है।

9. दोनों पक्ष जाटव समाज के होने के कारण एससी.एसटी एक्ट की धाराएं अधिरोपित नहीं होने के कारण उन्हें शासन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान का प्रावधान नहीं है, इसी कारण से आवेदिका कु. पूजा जाटव को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

उचित होगा कि आरोपी के भाई दलवीर सिंह, जो BSF में कार्यरत है के शस्त्र लाईसेन्स को निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। भारत सरकार के Victim Compensation Fund से प्रार्थिनी को राहत धनराशि दिलाने के लिए व डा. अम्बेडकर फाउंडेशन से राहत धनराशि दिलाने हेतु कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाये।

इसके अतिरिक्त नाबालिक प्रार्थिनी की counselling किसी अच्छे NGO/Counsellor से कराने की कार्यवाही की जानी उचित होगी।

कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 2 माह में आयोग को भेजी जाये। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाये। तदोपरान्त अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएग।

फाईल नं MP/22/2017-APCR की संस्तुतियँ दिनांक 12.06.2018 :

पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन के पत्र सं. क्र./पुमनि/रीडर/रा.अ.जा.आ./पुमु-2428-डी/2018, क्र./पुमनि/रीडर/रा.अ.जा.आ./P-2747-A/IB दिनांक 16.08.2018 व संलग्न रिपोर्ट/अभिलेखों व पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पत्र सं क्रमांक/पुअ/ग्वा/शिपु/एनसीएससी/32-F/2018 दिनांक 16.08.2018 द्वारा इस प्रकरण में अब कृत कार्यवाही व MP/22/2017-APCR 12.06.2018 की कार्यवृत्त में वर्णित अन्य प्रकरणों के संबंध में प्रस्तुत अपने द्वारा तथा पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया। आयोग संतुष्ट है कि पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री भसीन व पूर्व पुलिस अधीक्षक ग्वालियर डा. आशीष द्वारा कार्य में लापरवाही नहीं पाई गई। मात्र कृत कार्यवाही की सूचना आयोग तक समय से कदाचित नहीं पहुँची है, वे सुनवाई में नहीं आये या सुनवाई में अनभिज्ञ अधिकारियों को भेजा गया था।

आयोग की अपेक्षा है कि सभी अधिकारी भविष्य में अपने कार्यों के प्रति निष्ठा रखेंगे, समय से आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे व आयोग की सुनवाई में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अपरिहार्य कारणों के कारण वे उपस्थित न हो पाने की स्थिति में भिज्ञ व जानकार अधिकारी को भेजा जायें।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यदि पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर श्री नवनीत भसीन व पूर्व अधीक्षक डा. आशीष हेतु आयोग की पत्रावली सं. MP/22/2017-APCR में दिनांक 12.06.2018 की संस्तुतियों के प्रस्तर 3,4 पर पुलिस महानिदेशक, म.प्र. व पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर कार्यवाही नहीं करते हैं तो आयोग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

F.N.16/64/Delhi/2018/ESDW

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

Minutes of hearing held on 07.09.2018.

1. During the hearing following were present:

   i) Shri Tarun Das, Registrar, DU
   ii) Shri S.K. Dogra, Dy. Registrar, DU
   iii) Dr. Vandana Roy, Dean, Fac. Medical Science, DU
   iv) Prof. Vinay Gupta, Dean, Examination, DU
   v) Shri Nair. R., D.R. Exams, UDSC
   vi) Shri N.K. Saroa, Petitioner

The Vice-Chancellor, University of Delhi was not present third time before the Commission.

2. The case was discussed in detail. The representatives of University of Delhi informed the Commission that the answer sheet of Mr. Vakul Saroa has been evaluated by four examiners as per the recommendations of Commission. The result/marks given by the examiners are submitted to the Commission in a sealed cover. It was requested by University of Delhi that for the confidentiality and safety of the examiners, the marks awarded by the examiners may not be disclosed to the petitioner. It was further suggested by the University of Delhi that the petitioner Mr. Vakul Saroha should meet the Head, Department of Biochemistry, Maulana Azad Medical College and request to guide him to improve his academic performance in Biochemistry. He should also attend all classes, being held in the subject of Biochemistry in the college regularly and take all the tests which are held to improve his performance.
3. As the Scheduled Castes student appears to be harassed therefore, the Commission recommends that
   a) The case may be evaluated by some other examiner of outside Medical College nearby Delhi namely ESIC Medical College, Faridabad or
   b) The University of Delhi may declare the result of the petitioner on the highest marks and further providing grace marks as per rules.
4. The petitioner may be called by the Registrar, Medical, University of Delhi and ask to choose one of the above options.
5. As per the option selected by the petitioner the University may take immediate action and submit a report to the Commission within 7 days.

(Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria
Chairman

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. 24/188/Misc/UP/2018-ESDW

सुनवाई तिथि 08.10.2018 का कार्यवृत्त

श्री कलानिधि नैथानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री एस.पी. गुप्ता, एडीएम (ई), लखनऊ, श्री शीलधर सिंह यादव, अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल, श्री रंजीत कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रकरण में प्रमुख सचिव (गृह) व आयुक्त (लखनऊ) को सुनवाई में बुलाया गया था। दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं थे व न ही उनके द्वारा कोई छूट हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया। अधिकारियों से अपेक्षा है कि यदि वे स्वयं किसी कारण सुनवाई में उपस्थित न हो सकें तो छूट मांगते हुए किसी भिज्ञ वरिष्ठ अधिकारी को सुनवाई में रिपोर्ट सहित भेजा करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि प्रकरण में 05.09.2018 को FIR दर्ज व विवेचना प्रचलित है। प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री फर्जी प्रतीत होती है व प्रार्थी रंजीत कुमार के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करा कर रजिस्ट्री कराई प्रतीत होती है।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 04.10.2018 के अनुसार उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण रोकने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदार को पत्र भेजा गया है। विक्रय, अभिलेख पर प्रार्थी रंजीत कुमार के हस्ताक्षर व फोटो भिन्न पाये गये हैं, कुछ पृष्ठों पर रंजीत कुमार के हस्ताक्षर भी नहीं है। मतदाता पहचान पत्र जो प्रस्तुत किया गया है व भी रंजीत कुमार के नाम दर्ज नहीं है व प्रार्थी रंजीत का मतदाता पहचान पत्र दूसरा है।

अत: सब रजिस्ट्रार आदि के विरूद्ध भी कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव स्टाम्प व निबंधन को लिखा गया है।

प्रार्थी रंजीत सिंह के अनुरोध कि पूरी विवेचना पूर्व I.O. डा. बीनू सिंह द्वारा ही संपन्न करवाई जाए को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने मान लिया व आयोग को इस हेतु आश्वासन दिया कि CO आर.के. शुक्ला के स्थान पर पूर्ण विवेचना C.O. डा. बीनू सिंह से कराई जाएगी व वही मान्य होगी। प्रार्थी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आश्वासन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने आज दिया।

आयोग ने इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले के विरूद्ध तथा संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध भी FIR व कार्यवाही शीघ्र करेंगे व आज दिये आश्वासनों पर अमल करेंगे।

FIR में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (g) लगी है अत: जिलाधिकारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 2016 के अधीन सहायता धनराशि प्रार्थी को 10 दिन में स्वीकृत करेंगे।

कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सहित दिनांक 19.11.2018 को अगली सुनवाई।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

F.N.R-31/Rly-34/2018- SSW- I

Minutes of hearing held on 22.10.2018

Shri P.K. Agarwal, ADG RPF, Shri R.P. Chibber, DIG R&T, Shri R. Naresh Kumar Karikant, petitioner were present in the hearing.

The petiotner stated that he had received a major penalty charge sheet in 24.01.2018 under RPF rules wherein he was charged for having made an unproved complaint against his superior. He had approached NCSC state office which later referred case to NCSC Hqrs. in Delhi.

As per ADG and DIG, RPF his current enquiry has been kept suspended.

Case was discussed in detail and the reasons for initiating the major penalty proceedings were examined. The petitioner had complained to NCSC, state office that he was harassed and humiliated on caste basis by SI Virendra Kumar Yadav. The RPF had also got this complaint investigated and Inspector Devendra Kumar had concluded his complaint was not proved. On the basis of above report of Inspector Devendra Kumar, a major penalty charge sheet was issued to petitioner.

The ADG and DIG agreed with the Commission that the above action is extreme, and on suggestion of NCSC, they agreed to take a lenient and sympathetic view and to drop the major penalty proceedings.

The petitioner will be shifted to a non sensitive post where there is no contact with passengers at a place near his family as his wife and child both suffer from thalessemia, a chronic disease which requires frequent hospitalization.

In addition DIG, RPF agreed to call petitioner and give him a personal hearing on his various grievance so that they can be solved.

With this assurance, case is closed. However RPF will submit an ATR within 1 month.

(Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria
Chairman

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Har./188/2018- APCR

सुनवाई तिथि 29.10.2018 का कार्यवृत्त

श्री जगनिवास, एसडीएम, बहादुरगढ़, श्री हंस राज, पुलिस उपाधीक्षक, झज्जर, श्रीमती चमन देवी, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस ने सूचित किया कि प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 13.10.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

एसडीएम, बहादुरगढ़ ने सूचित किया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता 4.125 लाख परिवार को दी जा चुकी है।

प्रार्थिनी ने सूचित किया कि अभी तक उसकी गवाही नहीं ली गई है। अत: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय में सर्वप्रथम माँ की ही गवाही ली जाए।

तय हुआ कि चूँकि आरोप पत्र पेश हो चुका है, अत: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता की दूसरी किस्त 4.125 लाख व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम के अंतर्गत अन्य अतिरिक्त सहायता जैसे कि घर, माँ के लिए पेंशन (5000+महँगाई भत्ता) आदि भी एक सप्ताह में स्वीकृत कर दी जाना आवश्यक है।

जिलाधिकारी, झज्जर द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना 10 दिन में दी जाए। तदोपरान्त अगली सुनवाई की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Har./79/2018- APCR

सुनवाई तिथि 29.10.2018 का कार्यवृत्त

सुश्री सुमेधा कटारिया, उपायुक्त पानीपत, श्री सतीश सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, पानीपत, श्री विक्रम सिंह, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

उपायुक्त, पानीपत ने सूचित किया कि उन्होंने उपरोक्त का पूर्ण परीक्षण करवाया है और यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि सं. 1275/1 व 1275/3 को गलती से जून 1984 में gazette notification द्वारा वक्फ बोर्ड को दिया गया था। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी पानीपत के ओदश दिनांक 16.08.1993 द्वारा उपरोक्त आवंटन निरस्त किया जा चुका है व यह भारत सरकार की जमीन है।

यह तय हुआ कि उपायुक्त उपरोक्त पर पूर्ण जाँच करा के आयोग को यह सूचित करेंगे कि पूर्व में Gazette Notification दिनांक 30.06.1984 द्वारा उक्त भूमि का स्थानांतरण वक्फ बोर्ड को किए जाने की निरस्तीकरण आदेश को Gazette Notification द्वारा कब प्रकाशित किया गया व वक्फ बोर्ड आदि को कब सूचित किया गया तथा उसकी प्रति उपलब्ध करवाएँगे।

उपायुक्त 1 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुभाग प्रस्तुत करें, तदानुसार सुनवाई की अगली तिथि तय की जाएगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. R-9/Har.-7/2017- SSW II

सुनवाई तिथि 12.11.2018 का कार्यवृत्त

श्री हरचरण सिंह, संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, श्री राजू, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव, मौलिक शिक्षा, हरियाणा को बुलाया गया था जो उपस्थित नहीं हुए। अगली सुनवाई में उनको Summons निर्गत किया जाए।

प्रार्थिनी का कथन था कि वह स्थायी निवासी सिरसा जिला की है व विज्ञापन संख्या के अंतर्गत उसका JBT के पद पर चयन हुआ। उसने सिरसा जिला माँगा था, किन्तु उसको यमुना नगर जिला मिला है। जबकि प्रार्थिनी से कम योग्यता व क्रमांक वाले लोगों को उनकी विकल्प के अनुसार जिला दे दिया गया है। प्रार्थिनी ने कुछ उदाहरण भी दिए जिसमें एक श्री विजय है जिसको पहले सोनीपत जिला आवंटित किया गया था व बाद में उसके आवंटन को सिरसा जिला कर दिया गया था। प्रार्थिनी ने कई बार ज्वाइनिंग से पूर्व भी प्रतिवेदन देकर सिरसा जिले में अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्रार्थिनी का एक 5 साल का छोटा बच्चा है जिसकी देख-भाल हेतु अकेले यमुना नगर में कई परेशानियों का सामना पड़ता है।

ये तय हुआ कि उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको अस्थायी रूप से/प्रतिनियुक्ति पर कम-से-कम डेढ़ वर्ष के लिए सिरसा जिला आवंटन कर दिया जाए।

विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि कोई कोर्ट केस भी चल रहा है। अत: अगर माननीय न्यायालय का आदेश आ जाता है व सरकार उसको पूर्णकालिक रूप से सिरसा में नियुक्ति दे सकती है, तब तदानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

डेढ़ वर्ष के लिए सिरसा में प्रतिनियुक्ति का आदेश कर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट एक महीने में आयोग को भेजी जाए, तदानुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. R-45/Agri-5/2017- SSW I

सुनवाई तिथि 20.11.2018 का कार्यवृत्त

डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव एवं महानिदेशक, डी.ए.आर.ई. एवं आई.सी.ए.आर., डॉ. एल.एम. भर, निदेशक, आई.ए.एस.आर.आई, श्री राजेश कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी ने अपना उत्तर देने के लिए पुन: समय माँगा। पूर्व सुनवाई में भी उसने समय माँगा था, किन्तु अपना उत्तरी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया।

विभाग ने सूचित किया कि उसका Memorial माननीय मंत्री को प्रस्तुत किया गया था व माननीय मंत्री द्वारा उस पर निर्णय लेते हुए प्रार्थी की अपील को ठुकरा दी गई। प्रकरण में माननीय मंत्री स्तर तक कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अत: प्रशासनिक स्तर पर अब कार्यवाही संभव नहीं है।

अत: प्रकरण बंद किया किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. 14/179/UP2017- ESDW</u>

<u>सुनवाई तिथि 20.11.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री डी.पी. सिंह, उप जिलाधिकारी, फतेहाबाद आगरा, श्री नीरज कुमार, प्राथिनी के पति सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थिनी के पति ने सूचित किया कि उसके खसरा 911 पर 2.409 हे. की भूमि है जिसपर प्रशासन ने मिनी स्टेडियम का बोर्ड लगा दिया है व भूमि का कब्जा नहीं दिया है।

उप जिलाधिकारी, आगरा ने सूचित किया कि खसरा सं. 911 विभिन्न भाग में विभाजित है व प्रार्थिनी की कुछ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। प्रार्थिनी के कब्जे में लगभग 2 हे. व 0.3341 हे. है व उसकी भूमि पर मिनी स्टेडियम नहीं बन रहा है। प्रार्थिनी के कथन व उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट में विरोधाभाष है।

तय हुआ कि आयुक्त, आगरा प्रकरण में स्थानीय जाँच कर 1 माह में रिपोर्ट सहित अगली सुनवाई में उपस्थित रहेंगे।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/369/2017- APCR

सुनवाई तिथि 20.11.2018 का कार्यवृत्त

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम गाजियाबाद, श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, श्री राम कुमार, आईजी जोन मेरठ, श्री राकेश सिंह, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी ने सूचित किया कि पुलिस द्वारा अभी भी पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है तथा विपक्षीगणों में से अभियुक्त मानवीर सिंह जो कि पुलिस वाला है, उसको अभी भी धमका रहा है साथ ही साथ शत्रुगण व उसके परिवारजन भी उसको धमका रहे हैं, जान मारने की धमकी दे रहे है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मानवीर सहित सभी विपक्षीगणों के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।

पुलिस ने यह भी कहा कि प्रार्थी व उसके परिवारजनों के विरूद्ध भी FIR दर्ज है जिसमें धारा 307 भी लगाई गई है।

क्योंकि यह स्पष्ट है कि अभियुक्त एक पुलिस वाला है अत: इस कारण प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध कार्रवाई पुलिस के द्वारा द्वेषपूर्ण भाव से किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के बेटों के विरूद्ध संगीन धारा लगाकर उनके भविष्य अंधकारमय कर दिया गया है अत: यह तय हुआ कि मामले की पुनर्विवेचना की जाएगी।

आवेदक के पुत्रों को गंभीर चोट आयी है फिर भी उनके ही विरूद्ध 307 की गंभीर धारा द्वेषभाव से लगाई गई पायी गई। अत: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रकरण में पुन: निष्पक्ष जांच करायेंगे। इस निष्पक्ष जाँच हेतु सबसे प्रथम अभियुक्त मानवीर सिंह व ASP अनूप सिंह तथा CO4 राकेश मिश्रा का जिले से तत्काल स्थानांतरण होना अति आवश्यक है। ADG, मेरठ उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

मानवीर सिंह के विरूद्ध भी कई धाराएँ लगी है, अत: उसका निलंबन होना व उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई होना भी समीचीन होगा।

ADG उपरोक्त पर कार्रवाई कर एक महीने में आयोग को सूचित करेंगे।

शत्रुगण व उसके परिवारजनों के विरूद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे प्रार्थी व उसके परिवार को जानमाल की धमकी नहीं दे पाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी उपरोक्त पर कार्रवाई कर 1 महीने में आयोग को सूचित करेंगो।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत करें, तदानुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. UP/622/2018- APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 26.11.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री रामदत्त राम, डिप्टी कलेक्टर मथुरा, श्री राकेश, क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी मथुरा, श्रीमती सुनीता देवी, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रकरण में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, नकद रूपये, मोबाईल आदि बरामद हए व लूट व बलात्कार के जुर्म को इकबाल किया। अभियोग में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5)a लगाई जा चुकी है। FIR 11.10.2018 को की गई थी, पीड़िता को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

पाया गया कि आर्थिक सहायता का प्रस्ताव दिनांक 24.11.2018 को ही भेजा गया है जबकि नियमानुसार मेडिकल जाँच के बाद 8.25 लाख (धारा 376(D) के अधीन) का 50%, पीड़िता को भुगतान FIR के 7 दिन के भीतर किया जाना था।

क्षेत्राधिकारी, रिफाइनरी मथुरा द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव भेजने में विलंब किया गया व आयोग को पूर्ण तथ्य नहीं बताये गये।

जिलाधिकारी 7 दिन में नियमानुसार देय आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करके व अतिरिक्त सहायता यथा पेंशन, घर, नौकरी आदि स्वीकृत कर दिनांक 15.12.2018 तक रिपोर्ट देंगे।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. 24/79/Misc./UP/2018-ESDW</u>

<u>सुनवाई तिथि 27.11.2018 का कार्यवृत्त</u>

श्री वेदसिंह चौहान, एसडीएम, शाहजहॉपुर, श्री बिश्वजीत सिंह, उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., श्री शिव कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी का बिजली का बिल ठीक हो गया है और उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. ने सूचित किया कि लोन का मामला सेटल हो गया है। जमीन का कब्जा करवा दिया गया है।

सफल प्रकरण है, बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. UP/2/2018- APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 27.11.2018 का कार्यवृत्त</u>

प्रकरण में कोई नहीं आया। चूँकि इसमें संस्तुति दी जा चुकी है इसलिए प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/566/2017- APCR

सुनवाई तिथि 27.11.2018 का कार्यवृत्त

श्री अशोक कुमार मौर्य, राजस्व अधिकारी मैनपुरी, श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी करहल, श्री लेखराज, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस ने सूचित किया कि प्रकरण में Pocso Act लगा दिया गया है व अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसको चार्जशीट निर्गत कर दी गई है। पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए प्रतिवेदन भेजी गई थी, किन्तु प्रतिवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

आयोग ने पाया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा असंवेदनशील व्यवहार किया गया है तथा पुलिस ने दिनांक 16.01.2018 की आयोग की रिपोर्ट में यह कहा है कि नाबालिग पीड़िता को लगभग 10 दिन तक थाने में रखा गया व उसके पश्चात् ही उसका मेडिकल करवाया गया। ADG मैनपुरी इसकी जाँच कर सूचित करेंगे कि किस नियम के अंतर्गत एक नाबालिग पीड़िता को लगभग 10 दिन तक (23.11.2017 से 01.12.2017) थाने में रखा गया तथा मेडिकल भी इतने दिन के बाद करवाया गया।

जिलाधिकारी से अपेक्षा है कि पीड़िता को रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु पुन: प्रयास करेंगे।

दिनांक 21.12.2018 को अगली सुनवाई में कृत कार्रवाई की सूचना सहित जिलाधिकारी मैनपुरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी व प्रमुख सचिव गृह को बुलाया जाए।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

National Commission For Scheduled Castes

File No.R-10/Delhi-32/2005/SSW-I

Minutes of hearing held on 27.11.2018

Shri Naresh Kumar, Chairman, and Shri Virendar Singh Director, (P), NDMC, the petitioners Shri Gajendra Singh and Shri Shiv kumar were present in the hearing.

1. The matter has been pending in the Commission for a long time, several hearings have been held but no solution is in sight. In the last hearing on 09.07.2018 the Commission had desired Secretary, NDMC to hold a meeting and the NDMC to take a decision on solving the grievances. The Chairman, NDMC agreed that there has been no action on the same.

2. He stated that on the issue of giving the grade pay of Rs.5400/- to the petitioners (including Shri Gajendra Singh), NDMC is agreeable for the same. No recoveries will be made from Shri Gajendra Singh. Director (P), NDMC committed that he will file a statement in CAT regarding the above within 10 days and pay the withheld/recovered dues of petitioner Shri Gajendra Singh within 15 days. Chairman, NDMC is to monitor and ensure the above commitment is met.

3. As regards the grade pay of 7600/- to the petitioners, which was approved by Office Order dated 11.07.2016, the NDMC officers stated that the petitioners have been given DTL scales, now DTL is also reviewing the pay scales and matter is also in CAT. They agreed to implement the DTL decision or CAT decision whichever is earlier.

4. As regards the promotion issue, the petitioners and NDMC were in agreement on there being 58 vacant posts between 1995 to 2008. The petitioners stated that these 58 posts were divided on 50-50 basis for DR and promotion and the diploma/certificate holders were to be given 25% of the 50% promotion vacancies i.e. 8 posts. However, in the changed RRs the certificate holders have been left totally out of the ambit of promotion for no fault of theirs, as RRs were changed to their detriment while they were still working. Hence, an exemption is needed to be made in their case. Moreover, as all of them are

retired now and there will be no financial impact also, if certificate holder given their due/legitimate right at promotion to the post to AE (E).

5. Chairman, NDMC agreed to re-examine this aspect and to see how these retired SC petitioners can be given their due.

6. Commission again reiterates that the issue of 2nd TBPS in 7600/- scale (now 19000-39100) should be resolved in favour of the petitioners and some via media be worked out with respect to their promotion under the 25% of the promotion quota of 58 vacant seats as altogether leaving them out of new RRs while they were still in service is an injustice.

7. A report on action taken on commitments given in para 2, 3, 4 & 5 to be submitted in 1.5 months.

(Prof.(Dr.) Ram Shankar Katheria),
Chairman, NCSC

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/460/2017- APCR

सुनवाई तिथि 27.11.2018 का कार्यवृत्त

श्री चन्द्र भानू सिंह, एसडीएम कलीनगर, श्री योगेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर, श्री मैराज अली, क्राइम ब्रान्च पीलीभीत, श्री मंदीप कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

सुनवाई में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत उपस्थित नहीं हुए। गत सुनवाई 23.07.2018 में भी उपस्थित नहीं थे, अत: आयुक्त से अपेक्षा की गई थी कि वे जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति संवेदनशील रहने का परामर्श दें व पीड़िता की सहायता हेतु कार्यवाही करवायेंगे।

आयुक्त, बरेली ने उपरोक्त पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की हे। आयुक्त, बरेली अगली सुनवाई में उपस्थित होकर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट देंगे।

रिपोर्ट दिनांक 26.11.2018 के अनुसार अंतोदया राशन कार्ड व MNREGA जॉब कार्ड बना दिया गया है।

प्रार्थिनी ने सूचित किया कि अभी तक MNREGA के अधीन काम भी नहीं मिला है। उसको जीवन यापन में बहुत कठिनाई हो रही है।

प्रशासन द्वारा मात्र MNREGA का जॉब कार्ड बनाकर इतिश्री कर ली गई है जबकि जिलाधिकारी/एसडीएम का दायित्व था कि प्रधान से कहकर कार्य भी दिलाते व MNREGA के अधीन भुगतान भी कराते। PMAY के अधीन घर देने में भी कोई प्रगति नहीं है।

प्रस्तुत एसडीएम श्री चन्द्र भानू सिंह भी पूर्णत्या असंवेदनशील व अक्षम हैं। जिलाधिकारी पूर्व से ही असंवेदनशील रहे हैं व आयुक्त की भी कदाचित वे उपेक्षा कर रहे हैं।

अत: आयुक्त, बरेली अब अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थिनी को PMAY के अधीन आवास, MNREGA के द्वारा कार्य मिलें व भुगतान किया जाए। किसी NGO से संपर्क कर प्रार्थिनी को आर्थिक सहायता/कोई कार्य दिलवाया जाये जिससे वे अपना तथा बच्चों का लालन-पोषण कर सके।

कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सहित दिनांक को आयुक्त, बरेली उपस्थित रहेंगे। Summons निर्गत किये जायें। प्रार्थिनी व पुलिस के आने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

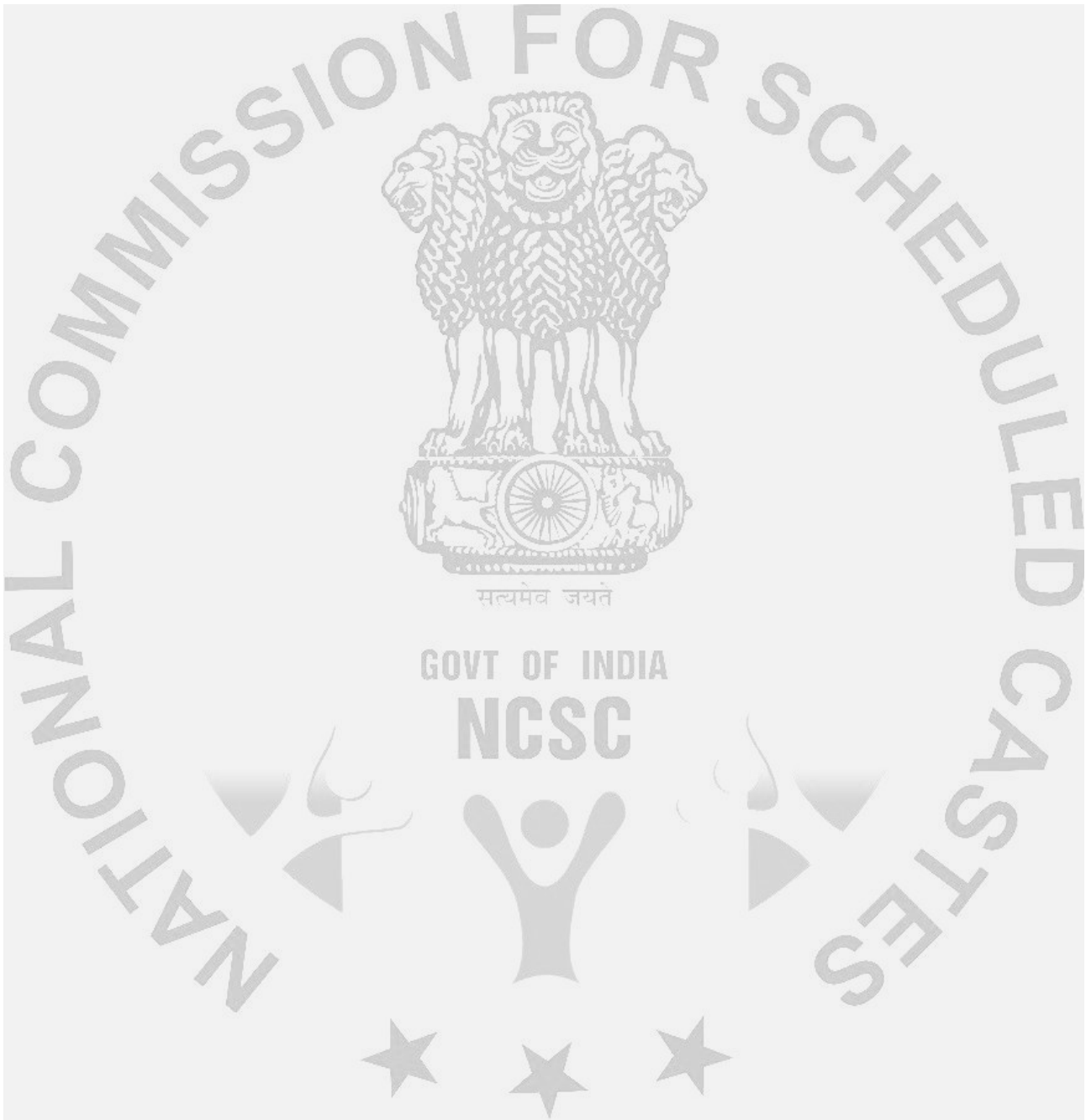
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC